<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>30-10-2018</td><td>

एकलपीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत उप–राजकीय अभिभाषक।
अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं
––

आदेश

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 29–12–2000 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।
रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, लाडनूं ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम बालसमन्द की जमाबंदी बंदोबस्त संवत् 2006 में खसरा नंबर 100 रकबा 12 बिस्वा की भूमि डोली बनाम मठ महादेव जी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेंट विभाग द्वारा संवत 2022 में उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना को प्रस्तुत किया।

अति0 जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–12–2000 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करके वादग्रस्त भूमि को डोली बनाम मठ महादेव जी के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई। उप–राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। ग्राम बालसमन्द तहसील लाडनू की जमाबंदी 2006 का अवलोकन किया जिसमें खसरा नंबर 100 रकबा 12 बिस्वा की भूमि डोली बनाम मठ महादेव जी वाके देह बएतमाम किशनपुरी गिरधारी पुत्री पि. सुख पुत्री कौम गुसाई सा. देह ब.हि.ब. का अंकन है। परन्तु मंदिर माफी का नाम विलोपित कर भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है तथा विवादित भूमि बाबत् नामांतरकरण संख्या 12 व 73, 119 अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किये गये है। जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में खसरा नंबर 100 रकबा 12 बिस्वा भंवरपुरी सावंतपुरी लाधुपरी हेमपुरी इलापुरी पिसरान हरदीन पुरी 1/4, सेतानपुरी, हणमानपुरी, अलूपुरी चेतनुपरी, ओमपुरी, रायपुरी, प्रेमपुरी बनापुरी पिसरान भगवानपुरी 1/2, खींवापुरी पुत्र नारायणपुरी 1/4 कौम गुसाई सा. देह खातेदार का अंकन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है । मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण संख्या 12 व 73, 119 ग्राम बालसमन्द तहसील लाडनूं निरस्त किये जाते हैं तथा विवादित आराजी को पुनः ''**डोली बनाम मठ महादेव जी**'' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थी के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के. जायसवाल)** **सदस्य**	